निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 437) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–21/2020–1009/वि०स०।—''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–06/2020]

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।–(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन,।– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (114) में उपखंड (ग) और उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(घ) लद्दाख,''।

3. धारा 10 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, ''माल'' शब्द के पश्चात् ''या सेवाओं'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 16 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, ''से संबंधित बीजक'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 29 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का आशय रहा हो;''।

6. धारा 30 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से,–

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए; और

(ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए, बढ़ाई जा सकेगी।''।

7. धारा 31 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,–

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में–

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।''।

8. धारा 51 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''(3) श्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण–पत्र ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।''।

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

9. धारा 122 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।''।

10. धारा 132 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में, –

(i) ''जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है'' शब्दों के स्थान पर, ''जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;''

(iii) उपखंड (ड.) में ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. धारा 140 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 140 में 1 जुलाई, 2017 से,–

(क) उपधारा (1) में, ''विहित की जाने वाली रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''ऐसी विहित रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, ''नियत दिन'' शब्दों के स्थान पर ''नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में, ''विद्यमान विधि के अधीन प्रदाता द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ड़) उपधारा (6) में, ''नियत दिन को'' शब्दों के पश्चात् ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

12. धारा 172 का संशोधन।– मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, ''तीन वर्षों'' शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्षों'' शब्द रखे जाएंगे।

13. अनुसूची 2 का संशोधन।– मूल अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 4 में, ''प्रतिफल हेतु या अन्यथा'' दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

14. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य–कर विभाग की की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 65, तारीख 29 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी, –

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय से संबंध में कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाले) कृषि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

(i) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–09, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्ती या गैर–आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुसार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रख्यापित किया गया है।

इस नई कर प्रणाली के लागू किये जाने के उपरान्त इसके कतिपय प्रावधानों को लेकर कठिनाईयाँ प्रकाश में आयीं। इन पर जीएसटी परिषद् की बैठकों में विचार किया गया। तद्लोक में संसद द्वारा यथा पारित वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किये गये है। वित्त अधिनियम, 2020 भारत के राजपत्र में दिनांक 27 मार्च, 2020 को प्रकाशित भी किया जा चुका है।

चूंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना वांछनीय है।

प्रस्तावित (संशोधन) विधेयक की मुख्य बातों में कम्पोजीसन लेवी की पात्रता की शर्त्तो को माल या सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न व्यवसायियों के अनुरूप बनाने हेतु अधिनियम की धारा 10 में संशोधन, स्वेच्छा से लिये गये निबंधन के मामले में रद्दीकरण के प्रावधान हेतु धारा 29 में संशोधन, निबंधन के रद्दीकरण का निरसन (Revocation) हेतु आवेदन देने की समय–सीमा में विस्तार के लिए धारा 30 में संशोधन, श्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए धारा 51 में संशोधन, कुछ निश्चित संव्यवहारों के लाभार्थी जिनके अनुरोध पर ऐसे संव्यवहार किये गये हैं, को दण्ड हेतु दायी बनाने के लिए धारा 122 में संशोधन, बगैर बीजक या बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का कपटपूर्वक उपयोग किये जाने को संज्ञेय एवं गैर–जमानती अपराध बनाने के लिए धारा 132 में संशोधन, पुराने अधिनियमों (Existing Law) के तहत कतिपय उपयोग नहीं किये जा सके इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी समय–सीमा एवं रीति विहित किये जाने हेतु धारा 140 में संशोधन, कठिनाईयों के निवारण (Removal of difficulty) हेतु प्रदान की गयी समय–सीमा को 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष किये जाने के लिए धारा 172 में संशोधन एवं मत्स्य आहार पर भूतलक्षी प्रभाव से राज्य कर से छूट आदि जैसे संशोधन शामिल हैं।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 437-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in